भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2451
04.08.2025 को उत्तर के लिए

स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों का अपशिष्ट प्रबंधन

2451. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पवन टर्बाइन, सौर फोटोवोल्टिक पैनल और बैटरियों जैसे स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना से उत्पन्न अपशिष्ट के निपटान और इसके पुनर्चक्रण के लिए कोई दिशानिर्देश, नीतियाँ या मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) तैयार की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे दिशानिर्देश लाने का है;

(ग) क्या सरकार ने पुराने या बंद पड़े नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों से वर्तमान में उत्पन्न हो रहे अपशिष्ट के आँकड़े एकत्र किए हैं और अगले दशक में उत्पन्न होने वाले संभावित अपशिष्ट का अनुमान लगाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा मशीनरी के लिए व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों का मसौदा तैयार करने हेतु राज्यों, उद्योग हितधारकों और पुनर्चक्रण क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की है; और

(ङ) पुनर्चक्रण और निपटान केंद्रों का ब्यौरा क्या है और स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना से अपशिष्ट के निपटान हेतु सरकार द्वारा विकसित तंत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। इन नए नियमों में सौर फोटो-वोल्टाइक (पीवी) मॉड्यूल या पैनल या सेल सहित ई-अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से प्रबंधन करने तथा ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए उन्नत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है, जिसके तहत सभी विनिर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। नए प्रावधान अनौपचारिक क्षेत्र को व्यवसाय करने और पर्यावरणीय अनुकूल

रीति से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक क्षेत्र में सुगमता और दिशा प्रदान करते हैं। इन नियमों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और सत्यापन एवं लेखा परीक्षा के प्रावधान भी लागू किए गए हैं। ये नियम ईपीआर व्यवस्था और ई-अपशिष्ट' के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण/निपटान के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं।

इन नियमों के अनुसार, सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल, पैनल या सेल के प्रत्येक विनिर्माता और उत्पादक को पंजीकरण प्राप्त करना, सौर पीवी मॉड्यूल की सूची बनाए रखना, सौर पीवी मॉड्यूल/पैनल/सेल से उत्पन्न अपशिष्ट को वर्ष 2034-35 तक संगृहीत करना, वार्षिक रिटर्न दाखिल करना, मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करना और लागू नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार सौर पीवी मॉड्यूल के अलावा अन्य अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल के पुनर्चक्रणकर्ताओं को सीपीसीबी द्वारा निर्धारित सामग्री की पुनः-प्राप्ति का अधिदेश दिया गया है।

ई-अपशिष्ट नियमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. सीपीसीबी द्वारा एक ऑनलाइन ई- अपशिष्ट ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें ई- अपशिष्ट के उत्पादकों, विनिर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं जैसी संस्थाओं को पंजीकृत होना आवश्यक है।

ii. सीपीसीबी ने ई- अपशिष्ट के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुकूल रीति से प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं। ये दिशानिर्देश पर्यावरणीय अनुकूल रीति से ई- अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक मशीनरी और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से संबंधित प्रक्रियाओं और सुविधाओं का विवरण देते हैं।

iii. ई- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के कार्यान्वयन हेतु सीपीसीबी द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है और इसे सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एसपीसीबी/पीसीसी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

iv. पंजीकृत संस्थाएं ई-अपशिष्ट पोर्टल पर त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न के माध्यम से अपना अनुपालन प्रस्तुत करती हैं।

v. इन नियमों में सीपीसीबी द्वारा या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं के सत्यापन और लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है, ताकि इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यादृच्छिक निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से इन नियमों के अनुपालन को सत्यापित किया जा सके।

vi. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) के दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं, ताकि इन नियमों और इसके अंतर्गत जारी

दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में किसी भी इकाई पर ईसी लगाया जा सके।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों, इलेक्ट्रॉनिक/विद्युत विनिर्माण संघों और पुनर्चक्रण संघों के साथ परामर्श के बाद मई, 2022 में 'ई- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022' पर मसौदा अधिसूचना तैयार की और प्रकाशित की थी। प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर विचार करते हुए, 'ई- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022' पर अंतिम अधिसूचना 2 नवंबर, 2022 को अधिसूचित की गई और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं की राज्यवार सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक

20.07.2025 तक पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत ई-अपशिष्ट पुनचक्रणकर्ताओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	गुजरात	32
6.	हरियाणा	39
7.	हिमाचल प्रदेश	4
8.	झारखंड	2
9.	कर्नाटक	49
10.	केरल	2
11.	मध्य प्रदेश	9
12.	महाराष्ट्र	62
13.	पंजाब	8
14.	राजस्थान	13
15.	तमिलनाडु	14
16.	तेलंगाना	17
17.	उत्तर प्रदेश	105
18.	उत्तराखंड	4
19.	प. बंगाल	9
	कुल योग	**375**